फारम सं० 562

अपीलकर्ता :- नरसिंह प्रसाद साह
बनाम
विपक्षी :- राजेश कुमार साह

आदेश पत्रक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्र ता० .... तक

जिला ...... 04/2008-09 सं० ...... सन् ...... अंचल-साहेबगंज।

11/2008-09

आदेश का प्रकार म्यूटेशन अपील केस

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी ता० सहित। 3
1.4.08	अपीलकर्ता नरसिंह प्रसाद साह पिता- स्व० सत्यनारायण साह साकिन- हबीबपुर, वार्ड नं०- 05, पानी नगर साहेबगंज जिला- साहेबगंज का आवेदन का अवलोकन किया एवं पंजीकृत करें। अपीलकर्ता का कथन है कि मौजा- मदनशाही टपुआ का जमाबन्दी नं० 496/886 तौजी नं० 407, 408 कुल रकबा- 00-01-12 धुर जमीन मेरे पिता जी ने एक निबंधित केवाला सं० 3955 दिनांक 08.10.1987 के द्वारा क्रय किये हैं। जिसे विपक्षी के द्वारा अंचल अधिकारी, साहेबगंज के नामान्तरण वाद सं० 399/07-08 दिनांक 24.12.2007 के द्वारा अपने नाम से नामान्तरण करवा लिये हैं। उक्त सम्पत्ति इजमाइल सम्पत्ति है। अपीलकर्ता ने अंचल अधिकारी, साहेबगंज के नामान्तरण वाद के विरुद्ध में अपील दायर किया है। विपक्षी का नामान्तरण को रद्द करने हेतु अपीलकर्ता ने आवेदन देकर अनुरोध किया है। अतः अंचल अधिकारी, साहेबगंज से उनके नामान्तरण वाद अभिलेख मूल में मांगें। विपक्षी को नोटिस करें। दिनांक 12.5.08 को रखें। लेखापित एवं संशोधित। ह० 1.4.08 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।	12-5-08 11-6-08 14-7-08 18.8.08 22.9.08 31.10.08 23/10/08 17/11/08 10/12/08 7/01/09 ~~24/12/08~~ 20/01/09 20/2/09 x/ 225-226 211/डी०ओ० 4-4-08 22/5/09 5/6/09 10/...

Scanned with CamScanner

ांक एवं देश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3
22.08.2019		

न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज।

मुटेशन अपील वाद सं0–11/08–09

नरसिंह प्रसाद साह–बनाम–राजेश कुमार साह

अपीलार्थी

नरसिंह प्रसाद साह, पिता–स्व0 सत्य नारायण साह

साकिन–हबीबपुर, वार्ड नं0–05, थाना–साहेबगंज (नगर)

जिला–साहेबगंज।

विपक्षी

राजेश कुमार साह, पिता–लखी प्रसाद साह

साकिन–हबीबपुर, थाना–साहेबगंज (नगर) जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

यह अपीलवाद अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में अनुमंडल न्यायालय साहेबगंज में दिनांक–01.04.2008 को अंचलाधिकारी, साहेबगंज के मुटेशनवाद के आदेश तिथि–24.12.2007, मुटेशन वाद सं0–399/07–08 के विरुद्ध प्रारंभ किया गया। तदुपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक–524/डी0बी0,दिनांक–03.10.2008 द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय को प्राप्त पत्र के आलोक में 03.10.2008 को वाद संचालित किया गया। दिनांक–13.10.2009 से दिनांक–09.03.2015 तक अधिसूचना पदाधिकारी के अभाव में वाद लंबित रहा। पुनः 10.03.2015 को उक्त पदाधिकारी, के योगदान उपरान्त उभय पक्ष को नोटिश निर्गत करते हुए अभिलेख की कार्रवाई प्रारंभ की गई। मूल अभिलेख की प्राप्ति पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी दो डीड केवाला से खरीद किये हैं। विक्रेता अपीलार्थी के छोटे भाई ओम प्रकाश साह है।

इसके जवाब में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि दो डीड द्वारा 16–16 (सोलह–सोलह धूर) धूर, द्वारा छोटे भाई ओम प्रकाश साह से क्रय किया गया है। जिसका निबंधन डीड सं0–3120 एवं 3121, दिनांक–27.06.2007 है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि विवादित भूमि संयुक्त सम्पत्ति होने के कारण छोटे भाई ओम प्रकाश साह द्वारा बिकी किया गया बिल्कुल गलत और अवैध है।

इसके उत्तर स्वरुप विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त विवादित जमीन अपीलार्थी के छोटे भाई ओम प्रकाश साह को बंटवारा में मिला है। पंचायत का फैसला दिनांक–30.05.1989 का उद्यहरण निम्न प्रकार है :–**अनुसूचि–'क'**

'जिला–साहेबगंज, थाना–साहेबगंज, मौजा–केलाबाड़ी, जमाबन्दी नं0–156, तौजी नं0–599, दाग नं0–194, 195, 197, टोटल रकवा–01 कट्ठा 04 धूर पर आगे एक रुम खपड़ा बाँस और पीछे 02 रुम खपड़ा और एक पक्का मकान जिसका होल्डिंग नं0–146 है और 06 धूर परती जमीन बड़े लड़के नरसिंह साह को मिला जिसका चौहदी :–पूरब–झा जी, पश्चिम–रास्ता, उत्तर–गली, दक्षिण–अनुग्रह कसेरा।

अनुसूचि–'ख'

थाना व जिला–साहेबगंज मौजा व थाना नम्बर नहीं है। अनसेटलमेन्ट भूमि तौजी नम्बर–407, 408 से 01 जमाबन्दी नं0–178, मौजा–मदनसाही टपुआ के अन्दर 01 कट्ठा 12 धूर जमीन पर दो पक्के का रुम बना है और बाँकी परती है। जिसका :–पूरब–विद्यानन्द, पश्चिम–रास्ता, उत्तर–नरसिंह साह, दक्षिण–झा जी है। ओम प्रकाश साह के हिस्सा में पड़ा।'

Scanned with CamScanner

क्रमांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	

उक्त अनुसूची 'क' तथा 'ख' से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन जो ओम प्रकाश साह छोटे भाई द्वारा बिकी किया गया है। भूमि बिल्कुल सही और वैध है क्योंकि छोटे भाई नें अपने हिस्से की जमीन बेची है। दिनांक–30.05.1989 की हुई पंचायत का फैसला में दोनों भाई नरसिंह प्रसाद साह एवं ओम प्रकाश साह का हस्ताक्षर मौजूद है, साथ ही बने कागजात के दाएँ तरफ नगर आयुक्त का भी हस्ताक्षर (..........वर्मा) मौजूद है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि ओम प्रकाश साह ने कोई जमीन बिकी नहीं किया है जिसकी पुष्टि हेतु शपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

इसके उत्तर स्वरुप विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि जब साहेबगंज से राजमहल निबंधन कार्यालय की दूरी लगभग 40 (चालीस) किलो मीटर है जहाँ पर विपक्षी राजेश कुमार साह ने उक्त जमीन का निबंधित कराया है जिस निबंधित केवाला के कागजात पर विक्रेता एवं क्रेता का फोटो तथा विक्रेता का पाँचों अंगुलियों का निशान मौजूद है। अर्थात विक्रेता नें स्वंय राजी होकर निबंधन कार्यालय राजमहल जाकर राजेश कुमार साह के पक्ष में उक्त विवादित जमीन का रजिस्ट्री किया है। पुनः शपथ–पत्र गलत मन्सा से दाखिल किया गया है जो बिल्कुल गलत है। निबंधित केवाला के पारा 01 एवं 02 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उक्त विवादित जमीन बिक्रेता के हिस्से की है तथा बिक्रेता का पूर्ण स्वामित्व है।

अतः उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात्, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर, उभय पक्ष द्वारा दाखिल लिखित बहस तथा अन्य कागजातों के अवलोकनोंपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अंचलाधिकारी, साहेबगंज द्वारा स्वीकृत किया गया मुटेशन वैध एवं नियमतः सही है। क्योंकि बिक्रेता ओम प्रकाश साह को अपने पैतृक सम्पत्ति में प्राप्त भूमि जो मौजा–मदनशाही टपुआ, ज0 नं0–496/886, रकवा–00–01–12 (एक कट्ठा बारह धूर) जमीन हिस्से की क्रेता राजेश कुमार साह, पिता–लखी प्रसाद साह के नाम से बेचा गया है। अतएव अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत एवं खारिज किया जाता है तथा अंचल कार्यालय, साहेबगंज का मुटेशन आदेश तिथि–24.12.2007, मुटेशनवाद सं0–399/2007–08 को बरकरार रखा जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में इस वाद के विरुद्ध अपील दायर कर सकते हैं। यह आदेश उभय पक्ष/उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को दिखायें।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अंचलाधिकारी, साहेबगंज को वापस करें। अभिलेख की कार्रवाई बन्द (समाप्त) की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 27 / डी.सी. साहेबगंज, दि० 04.9.19

प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुलग्नक:-

1. अंतिम आदेश की प्रतिलिपि।
2. नामान्तरण वाद सं०- 399/2007-08 (राजेश कुमार साह, पिता- लखी प्रसाद साह) कुल - 13 तेरह पन्नों में।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।
04.9.19

Scanned with CamScanner